फर्द अहकाम

अंजू बनाम [illegible]

ायालय 81/22

ख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
08/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03/12/2024 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। उक्त डिक्री की पालना में तहसीलदार, रामपुरा डाबडी को मौके पर जाकर पक्षकारान के हिस्सों का निर्धारण करते हुए कुरेजात (बंटवारा) रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था। आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 25/2025 को रिपोर्ट भेजी गई जिसे गुणावगुण पर निर्णय करते हुए पुनः कुरेजात भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार रामपुरा डाबडी द्वारा पुनः रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट दिनांक 11/07/2025 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। "तहसीलदार की रिपोर्ट व पक्ष व आपत्ति का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रामपुरा-डाबडी जयपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि विवादित खसरा नम्बर 112/261, 175, 176, 182, 177, 178, 173, 174, 181 (कुल रकबा 3.69 हे०) का मौका निरीक्षण दिनांक 11/7/2025 को किया गया। मौके पर [illegible] 112/236 173, 176 पर [illegible] ख०न० 182, 181, 175, [illegible] आवासीय कॉलोनी बसी हुई पाई [illegible] है)	

सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:53 IST
Reason: SelfAttested

ACM आमेर [illegible]

फर्द अहकाम

अंजू बनाम जगदीश

नाम न्यायालय

केस संख्या 81/22 [illegible]

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		भूमि का उपयोग मौके पर कृषि न होकर अकृषि (आवासीय) हो रहा है, जिस कारण नियमानुसार कृषि भूमि के मान से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट के विरुद्ध प्रतिवादी 19 धापा देवी व अन्य प्रतिवादीगण संख्या 1, 10, 11, 12 व 13 की ओर से आपत्ति प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए गए उनकी मुख्य आपत्ति रही की – तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार नहीं की, राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई और पक्षकारों को नोटिस नहीं दिया गया। मौके पर आवासीय कॉलोनी बसी होने का तथ्य गलत है, प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि खाली है और कृषि उपयोग में है। न्यायालय के पत्रावली, तहसीलदार की रिपोर्ट और आपत्तियों का गहनता से परिशीलन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 29/08/25 एवं संलग्न मौका फर्द दिनांक 11/7/25 में स्पष्ट अंकित है कि "सभी पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर मौका निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त फर्द मौका पर [illegible] गिरदावर और तहसीलदार के हस्ताक्षर [illegible] है, जो यह प्रमाणित [illegible] कि मौका निरीक्षण सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया। जिसको गलत नहीं माना जा सकता जबतक कि कोई ठोस साक्ष्य न हो। ~~प्रतिवादी~~ अतः नियम 18 से 21 की अवहेलना का तर्क स्वीकार्य नहीं है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:19:53 IST
Reason: SelfAttested

ACM आमेर (ज.प्र.)

फर्द अहकाम

अंजु बनाम सरकार

न्यायालय संख्या 81/22 S245

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		राजस्व न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार कृषि भूमि के विभाजन तक सीमित है। तहसीलदार की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि के अधिकांश भाग पर मौके पर "आवासीय कालोनी" विकसित हो चुकी है और भूमि का स्वरूप भौतिक रूप से बदल चुका है। जब मौके पर प्लोटिंग, सड़क निर्माण होकर आबादी बस गई हो, तो उसे कागजों में केवल कृषि भूमि दर्ज होने मात्र से "काश्तकारी अधिनियम" के तहत विभाजित नहीं किया जा सकता। मौका एवं वास्तविकता के आधार पर कृषि विभाजन केवल तब संभव है, जब भूमि रिक्त हो और कृषि योग्य हो। चूंकि मौके पर "मौका-स्थिति" बदल चुकी है। और कॉलोनी बस चुकी है, अतः अब इस न्यायालय द्वारा कृषि जोत के रूप में इसका विभाजन करना निष्प्रभावी और असंभव है। प्रतिवादीगण यह साबित करने में विफल रहे हैं कि भूमि मौके पर पूर्णतः रिक्त कृषि भूमि है। अतः तहसीलदार रामपुरा-डाबी की रिपोर्ट सत्य व सही मानकर व उ रिपोर्ट के आधार पर मौके पर भूमि का अकृषि उपयोग/कॉलोनी होने के कारण ... विभाजन ... खारिज की कार्यवाही संभव ... किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:19:53 IST
Reason: SelfAttested